फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाश जरिये जावेद खान बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 251"क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 93/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनाक 11.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से पाया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मौजा खाना तालाब पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर की आराजी न. 1288/744 किता 1 रकबा 2.2838 मे आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 739 में से 30 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी न. 1288/744 मे पहूंच मार्ग हेतु रास्ता बिलानाम आराजी न. 739 रकबा 1.2700 है. में से 1500 वर्ग मीटर (538 फीट X 30 फीट) का रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के आराजी में आने जाने के लिए नहीं होना बताया है तथा उक्त रास्ता निकटतम रास्ता बताया एवं बताया कि प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग कई वर्षो से किया जा रहा हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा उक्त रास्ते की डीएलसी दर 265000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की जमा योग्य राशि 79500/– रूपये होना बताया। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम भूमि हैं। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं जिससे रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खाना तालाब पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर की आराजी नम्बर 1288/744 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न. 739 रकबा 1.2700 है. में से 1500 वर्ग मीटर (538 फीट X 30 फीट) का रास्ता प्रस्तावित राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 265000/– अक्षरे दो लाख पैसठ हजार रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत 39750/– रूपये का दुगुना 79500/– रूपयें उन्यासी हजार पांच सौ रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:54 IST
Reason: SelfAttested